Form no. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सूरतगढ़
2. मूलाराम पुत्र टीकूराम जाति जाट निवासी चक 10 एमसी तहसील सूरतगढ़

बनाम

लाधूराम पुत्र तारूराम जाति जाट निवासी चक 10 एमसी तहसील सूरतगढ़

कि0मु:— रेफरेन्स अ0धारा 82 राज0 भू—राज0 अधि0 1956 प्र0सं0 :—07/2018 जीसीएमएस न. 2018/00004

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
03.9.2025	पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई। प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार सूरतगढ़ द्वारा इस न्यायालय में दिनांक 04.03.2015 को रेफरेन्स संख्या 13/2015 ब अनवान सरकार बनाम लाधूराम पेश कर निवेदन किया कि ग्राम 10 एम सी के पत्थर न. 159/59 के किला न. 1 ता 3. 8 ता 11 व 13 की 2.024 है० भूमि जोहड मय पायतन के लिए आरक्षित थी तथा वर्षा के जल भराव तथा उपयोग के लिए जोहड पायतन खाता सरकार में दर्ज रिकार्ड थी।किन्तु उक्त भूमि को अप्रार्थी लाधूराम पुत्र तारूराम को उपखण्ड़ अधिकारी, हनुमानगढ़ के आदेश दिनांक 27.12.1982 के द्वारा आवंटित गया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के प्रावाधानों के अनुसार उक्त भूमि का किसी अन्य कार्य के लिये आरक्षण, आवंटन अथवा उपयोग गैर कानूनी है। इस संबंध ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में सिविल याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम स्टेट मे दिनांक 2. 8.2004 में निर्देश प्रदान किये है जिसके अनुसार नदी/नाले/ झील/जल प्रवाह भूमियों की पूर्व की स्थिति यथावत रखा जाना आवश्यक है। तहसीलदार सूरतगढ़ द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स दिनांक 15.05.2015 को स्वीकार किया जाकर पक्षकारान को माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में दिनांक 23.06. 2015 को उपस्थित होने हेतु पाबंद किया गया। इस न्यायालय के आदेश दिनांक 15.05.2015 की पालना में तहसीलदार सूरतगढ़ ने माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में रेफरेंस संख्या रेफरेंस/एलआर/8170/2016/ गंगानगर ब अनवान सरकार बनाम लाधूराम पेश किया। माननीय मण्डल ने अपने निर्णय दिनांक 11.07.2017 में उल्लेखित किया है कि "उक्त रेफरेन्स में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की जनहित याचिका संख्या 02.08.2004 के अनुसार 15.08.1947 से पूर्व की भूमियों की स्थिति यथावत रखी जानी है, किन्तु पत्रावली में इस प्रकार कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है जिससे कि 1947 के समकालीन राजस्व रिकार्ड की स्थिति स्पष्ट हो सके। प्रश्नगत भूमि को अप्रार्थी लाधूराम पुत्र तारूराम को उपखण्ड़ अधिकारी हनुमानगढ़ के आदेश दिनांक 27.12.1982 के द्वारा आवंटित किया जाने का तथ्य अंकित किया है किन्तु ना तो उक्त आवंटन की कोई प्रति प्रस्तुत की गई है और ना ही कही भी यह अंकित किया है कि आवंटन दिनांक 27.12.1982 भू आवंटन नियमों के तहत किया गया था या कॉलोनाईजेशन नियमों के तहत किया गया था। जोहड पायतन की भूमि के लिए दोनों आवंटन नियमों में अलग—अलग प्रावधान है। पत्रावली पर इस प्रकार का कोई दस्तावेज नहीं है कि आवंटन के उपरांत आवंटी के पक्ष में नामांतकरण कब व किस दिनांक को अंकित किया गया इसकी पुष्टि के लिए नामांकरण संबंधी कोई दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना चाहिए था। अतः प्रकरण में समग्र रूप से अवलोकन उपरांत हस्तगत रेफरेन्स [illegible] द्वारा रेफरेन्स इस अपूर्ण रूप से प्रस्तुत किया गया है। [illegible] न्यायालय को वापिस लौटाकर निर्देशित [illegible] में विधिवत रूप से पुनः परीक्षण कराया जाकर नियमानुसार कार्यवाही कर संपूर्ण रेफरेन्स मण्डल को प्रेषित करावे।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Deenanath Babbal
Date: 2025.11.24 17:23:16 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़

Scanned with OKEN Scanner

माननीय मण्डल के आदेश की पालना में पुनः इस न्यायालय में हस्तगत रेफरेन्सं संख्या 07/2018 दिनांक 10.01.2018 को दर्ज कर उभय पक्ष को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किया गया। प्रार्थी संख्या 01 की ओर से पैरोकार राज हाजिर, प्रार्थी संख्या 02 की ओर से अधिवक्ता श्री रामप्रताप तिवाडी हाजिर आये। अप्रार्थी लाधूराम की ओर से अधिवक्ता श्री अशोक छाबडा उपस्थित हुए। बहस उभय पक्ष सुनी गई।

प्रार्थी पैरोकार राज ने दौराने बहस लिखित बहस में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि आवंटन अधिकारी, सहायक उपनिवेशन आयुक्त, इगानप, सूरतगढ द्वारा मिसल नम्बर 26/85 आवंटन दिनांक 31.12.1985 पटवार हल्का लालगढ़ के चक 10 एमसी के मुरब्बा 159/59 किला नम्बर 1 ता 3. 8 ता 11 व 13 कुल 8 बीघा भूमि विशेष आवंटन के जरिये 6000 रूपये प्रति बीघा की दर्ज से आवंटी लाघुराम पुत्र तारूराम जाति जाट को आवंटित किया गया है। उक्त रकबा आवंटन से पूर्व जोहड़ पायतन के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड था। गिरदावरी सम्वत् 2039 से 2042 मुन 159/59 के किला नम्बर 1 ता 3.8 ता 11 व 13 कुल 8 बीघा भूमि जोहड पायतन दर्ज गिरदावरी रिकॉर्ड है। माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान जोधपुर में दायर जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित आदेश दिनांक 02. 08.2004 द्वारा दिनांक 15.08.1947 से पूर्व की भूमियों की स्थिति यथावत रखने बाबत आदेशित किया गया है। चूंकि उक्त भूमि गिरदावरी संवत 2039 मे जोहड पायतन दर्ज रिकार्ड थी। अतः उक्त भूमि का मूल स्वरूप जोहड़ पायतन था। अतः रेफरेंस स्वीकार किया जाकर उक्त रकबा जोहड़ पायतन दर्ज करने के आदेश फरमावें।

प्रार्थी संख्या 2 मूलाराम के अधिवक्ता श्री रामप्रताप तिवाडी ने दौराने बहस लिखित बहस में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि मुझ प्रार्थी द्वारा दिनांक 28.05.2014 को लाधूराम के विरूद्ध एक शिकायत पेश की गई कि अप्रार्थी लाधूराम द्वारा चक 10 एमसी के पत्थर न. 159/59 के किला न. 1 ता 3, 8 ता 11 व 13 की 8.00 बीघा भूमि जोहड़ पायतन की भूमि है जिसे लाधूराम ने अपने नाम से आवंटन करवा ली है। अतः उक्त आवंटन खारिज फरमाया जावे। इस शिकायत के जैरकार रहते पैरोकार राज द्वारा इसी भूमि के संबंध में लाधूराम के विरूद्ध रेफरेन्स अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत दिनांक 23.02.2015 को पेश किया गया। इस न्यायालय द्वारा मुझ प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत शिकायत एवं पैरोकार राज प्रस्तुत रेफरेंस को सही मानते हुए दिनांक 15.05.2015 को विवादित भूमि की राजस्व रिकार्ड की पूर्व की स्थति बहाल करने के आश्य के साथ रेफरेन्स व शिकायत राजस्व मण्डल अजमेर को प्रेषित किया गया। जिसकी पालना में माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में रेफरेंस संख्या रेफरेंस/एलआर/8170/2016/गंगानगर ब अनवान सरकार बनाम लाधूराम पेश किया गया। माननीय मण्डल ने प्रकरण में दिनांक 11.07.2017 को निर्णय पारित करते हुए रेफरेन्स अपूर्ण होने से इस न्यायालय को वापिस लौटाकर निर्देशित किया कि प्रकरण में विधिवत रूप से पुनः परीक्षण कराया जाकर नियमानुसार कार्यवाही करते हुए पूर्ण रेफरेन्स मण्डल को प्रेषित करावे। जिन बिन्दुओं पर माननीय मण्डल ने हस्तगत रेफरेन्स को अपूर्ण माना था उन बिन्दुओं पर अंकित दस्तावेज पेश किये जा चुके है। जिसमें आवंटन पट्टा संख्या 27.12.1982 का है तथा प्रथम नामांतकरण की प्रति भी लाधूराम के नाम प्रविष्टि पेश की जा चुकी है। इसके अलावा आवंटन से पूर्व की जमाबंदी भी पेश की जा चुकी है जिसमें आवंटन से पूर्व रकबा जोहड पायतन दर्ज है। राजस्व मण्डल के कई निर्णयो में भी आदेश आ चुके है कि नदी/नाला/जोहड/गोचर/चारागाह की भू[illegible]की जा सकती है ना ही खातेदारी प्रदान की जा सकती [illegible] मण्डल द्वारा प्रकरण रेफरेन्स/एलआर/5177/[illegible] 17.12.2024 को निर्णय दिया है कि सार्वजनि[illegible]र्थ भूमि का [illegible] नहीं किया जा सकता। राजस्थान काश्तकारी [illegible] राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि[illegible] नियम 4 (1) के प्रावधानों के प्रभाव से वर्जित श्रेणी की भूमि है। इसी प्रकार मण्डल द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Deenanath Babbal
Date: 2025.11.24 17:23:16 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़

Scanned with OKEN Scanner

रेफरेन्स/एलआर/7782/2011 निर्णय दिनांक 02.01.2024 में रेफरेन्स स्वीकार किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अनवान अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित आदेश दिनांक 02.08.2004 अनुसार 15 अगस्त 1947 की राजस्व अभिलेख की स्थिति यथावत रखी जानी चाहिए। लाधूराम को जो भूमि आवंटन है वह पूर्व में जोहडपायतन दर्ज थी। उसका किस्म परिर्वतन नहीं किया जा सकता। लाधूराम द्वारा ऐसे कोई दस्तावेजात पेश नहीं किये जिससे आवंटन को विधिसम्मत ठहराया जा सके। वकील प्रार्थी संख्या 02 ने अपनी बहस के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत आरआरडी 2024 पेज 1, आरआरडी 2024 पेज 4 की ओर ध्यान दिलाया।

वकील अप्रार्थी ने अपनी बहस में लिखित बहस में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि उक्त भूमि कब से जोहड़ पायतन दर्ज थी स्पष्ट नहीं है व किसके आदेश से दर्ज की गई है स्पष्ट नहीं किया है। मौका पर कोई जल भराव नहीं हो रहा था, उक्त भूमि राज सरकार द्वारा स्वयं जोहड़ पायतन में आरक्षित कर गजट में प्रकाशित होते हुए भी आवंटन नियम 1975 के तहत चार गुणा राशि प्राप्त कर आवंटन की गई थी। उक्त आवंटन से पूर्व उक्त भूमि पर कोई जोहड़ पायतन नहीं था ना ही जल भराव हो रहा था मात्र 2.024 है. भूमि जो जोहड़ पायतन मानना भी कानूनन गलत है कृषि योग्य भूमि मानकर राज्य सरकार द्वारा जरिये पत्रावली सं. 26/85 विशेष आवंटन दिनांक 31.12.1985 को उक्त 8.00 बीघा भूमि 48,000/— रूपये में कीमतन आवंटन की वा कब्जा अलौटी को सौंप दिया गया तत्पश्चात कायम राशि लेने के बाद श्रीमान जिला कलैक्टर द्वारा राज उपनि. अधिनियम 1955 की शर्तो के तहत खातेदारी अधिकार दिनांक 08.10.1994 को प्रदान किये गये है अप्रार्थी उक्त रकबा का खातेदार कृषक है अंकित खातेदार कृषक के विरूद्ध उक्त कार्यवाही तमाम नियम विरूद्ध है। उक्त भूमि धारा 16 आर.टी. एक्ट के तहत सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आरक्षित नहीं थी यदि आरक्षित थी तो अप्रार्थी को आवंटन क्यों किया गया क्यों कीमत प्राप्त की इसमें अप्रार्थी जो कि एक काश्तकार मजदूर पेशा व्यक्ति है के साथ सरासर धोखा है, आज उक्त रकबा को जोधपुर उच्च न्यायालय को निर्णय के मुताबिक रकबा को खारिज करना पूर्णतया अन्याय है इसमें काश्तकार का कतई दोष नहीं है। रेफरेन्स प्रार्थना पत्र उच्च न्यायालय जयपुर पीठ की याचिका सं. 1153/2000 को आधार मानकर रेफरेन्स प्रस्तुत किया है जो मियाद बाहर है। आवंटन नियम 1985 में अप्रार्थी को आवंटन हुआ था रेफरेन्स 2015 में प्रस्तुत किया गया था जो कि 30 वर्ष की अवधि निकलने के पश्चात प्रस्तुत किया है। अब हाईकोर्ट के निर्णय को आधार मानकर रकबा को खारिज करना काश्तकार के साथ न्याय नहीं कर रहे है, जो Abuse of the Judgement and Travesty of the Judgment की तारीफ में आता है। अन्य हाईकोर्ट जयपुर व हाईकोर्ट पंजाब के निर्णय को आधार मानकर 30 वर्ष पश्चात रेफरेन्स प्रस्तुत किया है जो राज्य सरकार की लापरवाही का द्योतक है। राज्य सरकार पर Principle of Estoppel का सिद्धांत लागू होता है। मुझ अप्रार्थी का पेशा काश्तकारी है, आय का और कोई साधन नहीं है, कडी लगन वा मेहनत व परिश्रम से उक्त भूमि जो कि पूर्णतया बंजड़ थी को परिवार के समस्त सदस्यों की मेहनत वा परिश्रम से बंजड़ तोड़कर काबिल काश्त बनाया है। अप्रार्थी वा अप्रार्थी का परिवार जिसकी इसी भूमि में ढाणी बनाकर निवास करता है तथा अप्रार्थी द्वारा उक्त भूमि पर लाखों रूपये व्यय किये है तथा कृषि योग्य बनी है जब तक अन्य भूमि राज्य सरकार इस किस्म की भूमि आलौट नहीं कर देती उक्त भूमि को खारिज करना वा बेदखल कर कब्जा सरकार राज्य हित में प्राप्त करना नियम विरूद्ध है वा बेदखल भी नहीं किया जा सकता यदि भूमि अन्य सरकार द्वारा नहीं दी जाती तो वर्तमान दर पर [illegible] कीमत आंक कर रकम अदा करे तब ही उक्त आवंटन को निरस्त किया जा सकता है वा अप्रार्थी को बेदखल किया जा सकता है वरना अप्रार्थी के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन माना जावेगा [illegible] आवंटन नियम 1975 की धारा 17 (2) में दिये गये नियमों में [illegible] Paitan situated anywhere or the city having population within a radius of 12 km. from the

Signature Not Verified
Digitally signed by Deenanath Babbal
Date: 2025.11.24 17:23:16 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़

Scanned with OKEN Scanner

periphery of a city having population of one lakh persons or more, or within a radius of 8 km. from the periphery of a town having population of fifty thousand or more but less than on lakh, or within a radius of 3 km. from the periphery of a town having population of twenty five thousand or more but less than fifty thousand is allotted to any landless person other than the person of a Schedule times of the reserve price fixed by the Government for that class of land, but from an allottee belonging to a Scheduled Caste of Scheduled Tribe, the scale of price shall be double the reserve price mentioned above. उक्त नियमों के तहत भूमि आवंटन होने के पश्चात तमाम राशि खजाना राज में जमा करवा दी गई तत्पश्चात खातेदारी अधिकार भी प्रदान कर दिये गये। अतिरिक्त जिला कलेक्टर सूरतगढ़ द्वारा भी उक्त प्रकरण के सम्बंध में एक रेफरेन्स धारा 82 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत माननीय राजस्व मंडल अजमेर में प्रस्तुत किया जिसको सुनने के पश्चात माननीय सदस्य द्वारा अपने निर्णय में जो तथ्य उल्लेखित किये उसके अनुसार तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़ द्वारा दिनांक 15.08.1947 से पूर्व की स्थिति के सम्बंध में कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं करवाया व ना ही पत्रावली में कोई प्रस्तुत किया है। अपने निर्णय में यह भी उल्लेख किया कि आवंटन दिनांक 27.12.1982 भू–आवंटन नियमों के तहत किया गया था या कोलोनोईजेशन के तहत आवंटन किया गया था इस सम्बंध में तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़ द्वारा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। माननीय मण्डल द्वारा अदालत मातहत से आवंटी के पक्ष में नामांतरण कब व किस तारीख को किया गया कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है जबकि अप्रार्थी लाधूराम स्वयं द्वारा सूचना के अधिकार 2005 के नियम 6 (1) के तहत तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़ को एक प्रार्थना पत्र दिनांक 23.08.2024 को प्रस्तुत कर जरिये रजिस्टर्ड पत्र पूछा गया था कि चक 10 एम.सी. का प. न. 159/59 का कि.न. 1 ता 3, 8 ता 11, व 13 कुल 8.00 बीघा भूमि विशेष आवंटन में कीमतन अलौट की गई थी उक्त भूमि किस खसरा से चक 10 एम. सी. में पैमूद हुई व जोहड़ पायतन में कब आई किस अधिकारी के आदेश से पैमूद हुई, नक्शा न. 4 की सूची उपलब्ध करवाई जावे। तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़ द्वारा अपने पत्र कमांक 1956 दिनांक 29.08.2024 को संदर्भित पत्र की सूचना ना देकर उल्लेख किया कि आप द्वारा चाही गई सूचना प्रश्नात्मक प्रकार की है उत्तर देना लोक सूचना अधिकारी का दायित्व नहीं है। रोही लालगढ़ व गोपालसर की सूचि न. 4 इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं है इसके अलावा प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना कि उक्त भूमि जोहड़ पायतन में कब किस अधिकारी के आदेश से अंकित की गई है इस तथ्य का कतई जवाब नहीं दिया गया है बल्कि टाल मटोल की गई है। आज तक तहसीलदार सूरतगढ़ द्वारा कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है। मुझ अप्रार्थी को आवंटन नियम 1975 की शर्तो वा प्रावधान के तहत आवंटन किया गया था उक्त प्रावधान वा शर्ते आज भी कायम है राज्य सरकार द्वारा उक्त नियमों को हटाया या विलोपित नहीं किया है जब वह आज भी यथावत कायम है तो आवंटन को विधि विरूद्ध नहीं माना जा सकता। वकील अप्रार्थी ने अपनी बहस के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत आरआरडी 1983 पृष्ठ 15/97, आरआरडी 1982 पृष्ठ 298., आरआरडी 1996 पृष्ठ 170, आरएलआर 1995 (1) पृष्ठ 565, एआईआर 1984, एस.सी. पृष्ठ 38, आरएलआर 1996 (1) पृष्ठ 116 की ओर ध्यान दिलाया।

बहस उभय पर मनन किया तथा पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में रेफरेंस संख्या रेफरेंस/एलआर/8170/2016/गंगानगर ब अनवान सरकार बनाम लाधूराम में दिनांक 11.07.2017 को निर्णय पारित करते हुए विधिवत रूप से पुनः परीक्षण कराया जाकर नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया है। प्रकरण में पैरोकार राज नायब [illegible] रिपोर्ट दिनांक 03.06.2025 के साथ प्राप्त आवंटन अधिकारी एवं [illegible] उपनिवेशन आयुक्त द्वारा दिनांक 31.12.1985 को लाधूराम [illegible] आदेश की प्रति, ग्राम 10 एमसी की गिरदावरी संवत 2039 से 2042 [illegible] प्रमाणित प्रति, ग्राम 10 एमसी के नामांकरण संख्या [illegible] दिनांक 02.07.1987 का अवलोकन किया गया। जिससे

Signature Not Verified
Digitally signed by Deenanath Babbal
Date: 2025.11.24 17:23:16 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़

पाया कि ग्राम 10 एमसी की गिरदावरी संवत 2039 से 2042 में उक्त रकबा जोहड पायतन दर्ज राजस्व रिकार्ड था। आवंटन अधिकारी एवं सहायक उपनिवेशन आयुक्त द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (राजस्थान नहर उपनिवेशन क्षेत्र में सरकारी भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1975 के अधीन कृषि भूमि का स्थाई आवंटन के तहत दिनांक 31.12.1985 को लाधूराम को आवंटित की गई। जिसका नामांतकरण संख्या 1 स्वीकृत दिनांक 02.07.1987 को लाधूराम के नाम से दर्ज हुआ। अतः प्रकरण में जोहड पायतन दर्ज भूमि का आवंटन होने की पुष्टि होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर रेफरेन्स स्वीकार किया जाता है तथा पक्षकारान को सूचित किया जाता है कि वे दिनांक 26.09.2025 को माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में उपस्थित होवे। पैरोकार राज को निर्देशित किया जाता है कि माननीय मण्डल द्वारा निर्णय दिनांक 11.07.2017 में दिये गये निर्देशों की अक्षरशः पालना करते हुए रेफरेन्स माननीय मण्डल में पेश करे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दीनानाथ बब्बल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Deenanath Babbal
Date: 2025.11.24 17:23:16 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner